आदेश की क्र0सं0 और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गयी कार्रवाई बारे में टिप्पणी, ता0 सहित 3
18.01.2018		

उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

Rev. Misc. Revision Case No.- 10 / 2012-13
डोमन मियाँ एवं अन्य बनाम मो0 युनूस मियाँ एवं अन्य
एवं
Rev. Misc. Appeal Case No.- 8 / 2012-13
सुभान मियाँ एवं अन्य बनाम मो0 युनूस मियाँ एवं अन्य
एवं
Rev. Misc. Revision Case No.- 11 / 2012-13
रजाउल मियाँ एवं अन्य बनाम मो0 युनूस मियाँ एवं अन्य

आदेश

प्रस्तुत वाद डोमन मियाँ, पिता–स्व0 मेनेजर मियाँ एवं अन्य छः सभी ग्राम–जेरूवा, सरदारी सर्किल–घाँटी, थाना–नारायणपुर, अनुमण्डल एवं जिला–जामताड़ा के द्वारा मो0 युनूस मियाँ एवं अन्य के विरूद्ध भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता जामताड़ा के वाद **Rev. Misc. Case No.- 590/2011-12** में दिनांक 13.06.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध रिविजन दायर किया गया। इस अभिलेख में उपायुक्त जामताड़ा के आदेश दिनांक 27.06.2013 के द्वारा R.M.A. 08/2012-13 एवं R.M.R.-11/2012-13 को R.M.R.-10/2012-13 के साथ संयुक्त सुनवाई हेतु Amalgamate किया गया।

वाद का सारांश यह है कि अंचल अधिकारी नारायणपुर के पत्रांक–10/रा0 दिनांक 05.01.2012 द्वारा मौजा जेरूवा के जमाबन्दी रैयत बीरबल मियाँ बगैरह को दिये गये राजस्व प्रधान द्वारा दिया गया पट्टा को संपुष्ट करने का प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा को दिया गया जिसे अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा ने तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता जामताड़ा को सुनवाई हेतु भेजा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता जामताड़ा द्वारा दिनांक 13.06.2012 को सुनवाई कर आदेश पारित किया गया।

अपिलकर्ता का कहना है कि विपक्षीगण प्रथम पक्ष जेरूवा के धनी मानी व्यक्ति है जब कि आवेदक गण गाँव के भूमिहीन रैयत है। इस जमीन से लगे रहने के कारण तथा इस जमीन के रैयत होने के कारण पलोट न0 2093 एवं 849 में मौजा के राजस्व प्रधान द्वारा उन्हें पट्टा दिया गया जिसमें वे दखल कब्जा में है। पुनः अपीलकर्ता का कहना है कि पट्टा की संपुष्टी गलत की गई तथा जमीन आवेदक का दखल में रही है, इतना ही नही Additional Sub Judge, Jamtara द्वारा उन्हें कुछ भूमि पर डिक्री भी हासील है। उनका कहना कि सोलहआना रैयत को नोटिस नही किया गया है तथा गलत तरीके से जमीन के पट्टा को संपुष्ट किया गया है।

Scanned with CamScanner

आदेश की क्र०सं० और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के बारे में टिप्पणी
1	2	
	दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। पट्टा के संपुष्टी में काफी मात्रा में भूमि सन्निहित है, बिना स्थल जाँच किये एवं दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत किये गये पट्टों की सत्यता जाँच किये बिना किसी निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन है। तत्कालीन प्रभारी अंचल निरीक्षक, नारायणपुर के प्रतिवेदन पर प्रश्न खड़ा किया गया है। उनके गलत प्रतिवेदन के लिए उन्हें निलम्बित किया गया था। अतः नये सिरे से इसमें विधिवत जॉच की आवशयकता है। अतः अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा को इस निदेश के साथ वापस किया जाता है कि वे स्वंय जमीन का अंचल अधिकारी के उपस्थिति में स्थल निरीक्षण कर दोनों पक्षों का विधिवत सुन लें, कागजातों को सुक्ष्मता से जाँच करें, तदोपरान्त विधि सम्मत आदेश पारित करें। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता जामताड़ा को सूचना देते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस किया जाय। 15/01/18 उपायुक्त जामताड़ा।	18/2/18 18/2/18 DB 118 dt 6-3-018

Scanned with CamScanner